

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

दायर दिनांक

निर्णय दिनांक

01.02.2023

30.01.2024

उनवान

प्रकरण संख्या
20/2023

1. श्री भंवर आत्मज श्री नाराण गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गोकलपुरा वाया कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्रीमती नाना आत्मजा श्री नाराण गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गोकलपुरा वाया कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती सोहनी आत्मजा श्री नाराण गाडरी, आयु वयस्क, निवासी गोकलपुरा वाया कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भैरु आत्मज श्री छीतर गाडरी, आयु वयस्क, निवासी-गोकलपुरा वाया कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. श्री देवी आत्मज श्री छीतर गाडरी, आयु वयस्क, निवासी-कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. श्री लादू आत्मज श्री मांगूदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी-कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. श्री बंशी आत्मज श्री मांगूदास बैरागी, आयु वयस्क, निवासी-कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. श्री भैरु आत्मज श्री मोहन कीर, आयु वयस्क, निवासी-कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. श्री देवी लाल आत्मज श्री मोहन कीर, आयु वयस्क, निवासी-कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. श्री विनोद आत्मज श्री मदन कीर, आयु वयस्क, निवासी-कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज०)

—विपक्षीगण


उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी राकेश जैन

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कोदूकोटा प०ह० कोदूकोटा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 619 की अभिलिखित आराजियात 3036 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8219 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा


और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 07 के कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया व पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में कित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि जा कोदूकोटा प0ह0 कोदूकोटा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 619 की अभिलिखित आराजियात 036 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8219 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
रूपका अधिकारी
भीलवाडा